

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, पाली

क्रमांक: 1839

दिनांक: 11/07/2025

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/AGRI/2077/PAL/0009767

प्रशासनिक स्वीकृति

विषय:- अभाव संवत् 2077 के प्रभावित कृषकों हेतु कृष आदान अनुदान बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 14727-65 दिनांक 20.11.20 द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के प्रभावित कृषकों को अभाव संवत् 2077 (खरीफ-2020) में कृष आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में निम्नानुसार तहसीलो हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है-

तहसील	कृषक संख्या	कृषक श्रेणी	फसल खराबा श्रेणी	राशि (रु में)
सुमेरपुर	1	□□□	75%-100%	8092
पाली	2909	□□□	75%-100%	18048220
योग	2910			18056312

उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-2026 में कृषकों हेतु 2245-01-800-(03)-[05]-12 बजट मद पर भारित होगी ।

जिला कलेक्टर,
पाली

प्रतिपत्र:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त,
3. विशेष सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....
6. अति. जिला कलेक्टर.....
7. तहसीलदार
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी.....
9. निजी सहायक, जिला कलेक्टर.....
10. रक्षित पत्रावली।

जिला कलेक्टर,
पाली

Signature valid

Digitally signed by Laxmi Narayan Mantri
Date: 2025.07.22 15:05:15 IST
Reason: SelfAttested

